न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2022 / 55 (55 / 2022)

प्रभुदयाल पुत्र श्री जीतराम जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। ——अपीलांट

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. कृष्ण कुमार पुत्र मनीराम
3. रोहिताश पुत्र कृष्ण कुमार
4. विकेश पुत्र आत्माराम
5. सुरेन्द्र कुमार पुत्र लूणाराम
6. औमप्रकाश पुत्र हरचंद
7. प्रेम सिह पुत्र कृष्ण कुमार

(क्रम 2 से 7) जाति जाट निवासी पीरकामिडया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

8. सुखा सिंह पुत्र श्री बलविन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। —— रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील अधिकारी (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 225 आरटीएक्ट
विरूद्व आदेश दिनांक 28.02.2022
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी
प्र0 सं0 7 / 2020 रामस्वरूप बनाम प्रभुदयाल

श्री इन्द्राज गोदारा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री विजय कौशिक अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री दलीप सारस्वत अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 8

निर्णय   दिनांक 10·10·2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 –'ए' के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि प्रार्थी की चक 24 एनजीसी में कुल 20.264 है0 भूमि दर्ज हैं। प्रार्थी कदीम अरसा से चक 24 एनजीसी प. नं. 182/258 किला नं. 1 ता 5 से होकर अपनी कृषि भूमि में आता है। प. नं. 183/258 किला नं. 1 ता 5 में मौका पर चालू एवं स्वीकृत रास्ता है एवं इसी रास्ता से होकर प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में ट्रेक्टर, गाड़ा, एवं अन्य कृषि यंत्र लाता ले जाता हैं। प्रार्थी की भूमि के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं होने का कथन करते हुए चक नं. 24 एनजीसी प.नं. 182/258 मुरब्बा नं. 18 किला नं. 5 के उत्तर पूर्व के कोने में प्रार्थी के किला नं. 25 के चिपते दो गट्ठा लम्बाई व चौड़ाई यानि 0.0025 है0 रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। अपीलाण्ट/अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि किला नं. 5 में अपीलाण्ट अप्रार्थी का कमरा बना होने एवं मुरब्बा नं0 6 के किला नं. 21 में से होकर प्रार्थी अपने भूमि में प्रवेश करने का कथन किया जो कम दूरी का रास्ता है इत्यादी कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया। विचरण न्यायालय ने किला नं0 5 में रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया है। मुझ अपीलांट की खतोदारी भूमि वाके चक 24 एनजीसी प. नं. 182/258 मुरब्बा नं. 18 किला नं. 5 में एक स्वीकृतशुदा खाला है जिस पर किसी प्रकार की कोई पुलिया नहीं है व जिस कोने से रास्ता मन्जूर किया गया है वहां पर स्वीकृतशुदा पक्का नाका भी बना हुआ है जिस बाबत रेस्पोडेट रामस्वरूप की भी पूर्व में सहमति दी हुई है अगर यहां स्वीकृतशुदा रास्ता दिया जाता है तो नाका व खाला क्षतिग्रस्त हो जायेगा जिससे आगे के सभी काश्तकारान को सिंचाई सुविध से वंचित होना पडेगा तथा किला नं. 5 में मुझ अपीलांट का पक्का

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मकान बना हुआ है रास्ता स्वीकृत होने से मकान ध्वस्त हो जावेगा मुझ अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ता की भूमि के बदले में डीएलसी के दोगुने रेट पैसे जमा करवाने के आदेश दिये हैं जो कि कानूनन सही नहीं है जबकि रेस्पोडेण्ट ने अपने प्रार्थना–पत्र में रास्ता की भूमि के बदले में भूमि देने को तैयार होने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। स्वीकृत किया गया रास्ता ही निकटतम रास्ता की एवं रेसपोडेण्ट को रास्ते की परम आवश्यकता है। अपीलांट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है जो रेस्पोडेण्ट को हैरान परेशान करने के लिए पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जावे।

5. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 8 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प0 नं0 182/258 के मुरब्बा नं. 18 किला नं. 5 के उत्तर पूर्व रास्ता स्वीकृत किया है उसी भूमि में कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड रावतसर ने अपने आदेश दिनांक 09.04.2021 को खाला स्वीकृत कि है उक्त खाले से रेस्पोडेण्टान अपने रकबा में सिचाई करते हैं तथा अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 1 की सहमति से उक्त खाला की स्वीकृति जारी हुई है। अदालत मातहत ने जहां रास्ता स्वीकृत किया है उस स्थान पर स्वीकृत नाका भी है तथा कच्चा खाला चल रहा है जिस पर कोई पुलिया नहीं है। अब उसी स्थान पर रास्ता स्वीकृत किय जाने से हम सब रेस्पोडेण्टान की सिंचाई सुविधा प्रभावित होती है। अतः अपील अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा चक 24 एनजीसी के प. नं. 182/258 मु. नं. 18 किला नं. 5 के उतर पूर्व कौने में 0.0025 है0 रास्ता स्वीकृत किया है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 8 उसी भूमि में कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड रावतसर ने अपने आदेश दिनांक 09.04.2021 को खाला

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Lovio

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

स्वीकृत किया है उक्त खाले से रेस्पोडेण्टान अपने रकबा में सिंचाई करते हैं तथा अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 1 की सहमति से उक्त खाला की स्वीकृति जारी हुई है। अदालत मातहत ने जहां रास्ता स्वीकृत किया है उस स्थान पर स्वीकृत नाका भी है तथा कच्चा खाला चल रहा है जिस पर कोई पुलिया नहीं है। अब उसी स्थान पर रास्ता स्वीकृत किये जाने से हम सब रेस्पोडेण्टान की सिंचाई सुविधा प्रभावित होती है। इस संबंध में कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड रावतसर के आदेश दिनांक 09.04.2021 की प्रति पेश हुई है। खाला स्वीकृत होने के कारण रास्ता स्वीकृत करने के उपरान्त अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्टान की भूमि की सिंचाई सुविधा बाधित/प्रभावित होती है अथवा नहीं इस बिन्दू पर जॉच कर उभयपक्ष को सुनकर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2022 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय का इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़